(e) is: Why has he to run to Washington Or to the Bank of America for Rs. 400 crores? Why is, it not possible for him to find the money from Indian banks, Indian financial institutions, and, above all, from the public?

श्री रामविलास पासवान: उपसभापति महोदया, 15 अक्तूबर, 1990 को इस कोंकण रेलवे निगम ने कार्यभार संभाला था और उस समय यह लक्ष्य रखा गया था कि पांच साल में यह कार्य पूरा हो जाएगा बल्कि यह कहा गया था कि चार साल में ही इसको पूरा कर लिया जाएगा. जब भाषण हुआ था उस समय के तत्कालीन रेलवे मंत्री जी का तो उन्होंने इसे पांच साल से घटाकर के चार साल कर दिया था। पांच साल के हिसाब से भी इसे 1995 में पूरा हो जाना चाहिए था. उसके बाद यह कहते हैं कि अब 6 साल हो गया है. जहां तक संसदीय समिति की रिपोर्ट का सवाल था, मैंने अभी उसको पूरी डिटेल में बतलाया है. अब बैंक का जहां तक सवाल है, बैंक के संबंध में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है— सतीश अग्रवाल जी है, प्रणव बाबू है और मनमोहन सिंह जी हैं, जो इस बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं— लेकिन हमको बतलाया गया है कि जिस बैंक से हम पैसा लेना चाहते हैं, बड़ी सस्ती दर पर पैसा वहां से मिल रहा है और यदि अपने बैंकों से लेंगे तो बड़ी भारी दर पर पैसा मिलेगा. इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां से पैसा लिया जाए.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It means the Railway Board believes that foreign banks are more generous.

THE DEPUTY :CHAIRMAN: Now, mat question is over. There was a lot of discussion over that question. Now, Q.No. 243..*(Interruptions)*...

Sale of synthetic milk

*243. SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Will the Minister of ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the sale of synthetic milk has come to the notice of Government in, certain areas of the country;

(b) if so, the States in which this has come to light; and

(c) what action Government have taken to deal with this crime?

पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा० रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) तथा (ख) हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों से दूध में बाहरी तत्वों की मिलावट होने के कुछ मामलों की सूचना मिली है।

(ग) मिलावटी दूध की बिक्री पर रोक लगी हुई है तथा खाद्य अपमिश्रण निवारक नियमावली, 1955 के उपबंधों के अधीन यह एक दण्डनीय अपराध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों ने अपने निगरानी उपायों को तेज कर दिया है तथा अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन के मामले आरंभ कर दिए हैं। सरकारी/सहकारी समितियों के स्वामित्व वाले डेयरियों ने अपने गुणवत्ता परीक्षण तंत्र को सख्त कर दिया है तथा सभी पंजीकृत निजी डेयरियों को उनके संयंत्रों में मिलावटी दूध के प्रवेश को रोकने के द्वारा गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के अनुदेश दे दिए गए हैं।

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Madam, I would like to point out that synthetic milk is manufactured and sold by private dairy plants in the country. Synthetic milk is used by the people in all the countries. The ingredients used in the manufacture of synthetic milk are synthetic soda and water and some salt. That salt is from foreign countries. Synthetic milk will directly affect children, Madam. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether any steps have been taken to prevent the production and sale of synthetic milk. In June, 1992, the then Agriculture Minister had enacted the Milk and Milk Products Act. Has that Act been enforced or not? As per that Act, all the private dairy plants in the country must be registered before the forum meant for it and must give full particulars regarding the place of manufacture and supply and private milk vendors. I would like to know whether any special steps are going to be taken to prevent the production and sale of synthetic milk. Or, is there any hew law or new Bill proposed to be introduced in regard to the production and sale of synthetic milk?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: उपसभापति महोदया, जब सरकार को यह सूचना मिली कि देश में कहीं-कहीं दूध में यूरिया, कुछ खास किस्म के फैट्स और डिटरजेंट मिलाकर बेचने की कोशिश की गई है तो सरकार ने इसकी जांच कराई और 4 राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में ऐसे 8 मामले पकड़े गए हैं।

उपसभापति: स्वयं दिल्ली के बारे में भी कहा गया था।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: दिल्ली में अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

उपसभापति: अखबार में आया था। आपने पकड़ा नहीं अभी तक...**(व्यवधान)**

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: इन चारों राज्यों में जहां सरकार से संबंधित रजिस्टर्ड डेरियां हैं, उनके संबंध में राज्य सरकारों को ऐलर्ट किया गया है। यहां से स्वास्थ्य मंत्रालय की एक सेंट्रल टीम गई है चारों राज्यों में और सभी को आदेश दिया गया है कि बिना जांच किए दूध की खरीद न हो और न ही आपूर्ति हो।

दिल्ली में भी दिल्ली मिल्क स्कीम और मदर डेयरी में भी पहले से ही यह व्यवस्था है कि बिना जांच के दूध की आपूर्ति न हो।

महोदया, अशुद्ध दूध और मिलावट वाला दूध और जिसे सिंथेटिक दूध कह रहे हैं, इस तरह का दूध शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। यह न केवल बच्चों के लिए बल्कि युवा और ज्यादा उम्र वाले लोगों, सभी के लिए हानिकारक है और इससे नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए सरकार का विभाग और राज्य सरकारों के हैल्थ विभाग और पशु पालन विभाग सभी जगह पूरी मुस्तैदी से इसको रोकने के लिए और इसमें एफ०आई०आर० दर्ज करके उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी सभी जगह लोगों को निर्देश दिया गया है, एलर्ट किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में कोई ढिलाई न बरती जाए और सख्ती बरती जाए जिससे गड़बड़ करने वाले लोगों और अशुद्ध दूध आपूर्ति करने वाले... **(व्यवधान)**

उपसभापति: मंत्री जी, एक मिनट।...**(व्यवधान)** आप दूसरी जगह बैठिए। इस हाऊस के एटिकेट का सवाल है कि कोई मंत्री अगर जवाब दे रहा हो तो दूसरे मेंबर को अलग से आना चाहिए। उसके और चेयर के और दूसरे मेंबर के बीच में नहीं आना चाहिए। मेहरबानी करके आप उधर से आकर बैठ जाइए। आप उधर तशरीफ ले जाइए, उधर से आ जाइए

I am sorry to remind you, but this is the procedure or the conduct of the House

बोलिए मंत्री जी।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, चूंकि यह लोक महत्व का मामला है और इससे देश भर में दूध की खरीद-बिक्री होती है। इस तरह की प्रथा अगर चलेगी तो मनुष्य के शरीर के लिए और स्वास्थ्य के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। इसलिए ढिलाई बरतने की कोई गुंजयश नहीं है, सख्ती बरती जा रही है और तमाम डेरियों को और सरकार के विभाग को, हैल्थ विभाग को और तमाम जो इससे संबंधित लोग हैं, सचेत कर दिया गया है और सख्त कार्रवाई के लिए हम लोग तैयार हैं।

उपसभापति: मंत्री जी, मैंने स्वयं तीन दिन बगैर दूध की चाय पी जब अखबार पढ़ी और यहां मैंने किसी से चर्चा भी करी कि दूध में यूरिया मिला है, दूध नहीं पीना चाहिए। शायद इसीलिए देश में यूरिया की भी कमी हो गई है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, आपकी यह चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि हर परिवार में चाय के लिए, पीने के लिए, दही के लिए अनेक तरह से दूध का इस्तेमाल होता है। यह जनहित का मामला है। इसलिए सरकार कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतेगी, कहीं ढिलाई नहीं बरती जाएगी, सख्ती बरती जाएगी और हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं। महोदया, पहले से यहां डी०एम०एस० और मदर डेरी है। उसमें चार-चार तरह से जांच होती है। पहले जांच होती है कि पानी फैंका हुआ है या नहीं, उसके बाद जांच होती है कि उसमें कितना फैट है, उसके बाद केमिकल जांच होती है—मिल्क स्केन, फिर बी०आर० रिफ्रेक्टरी जांच होती है कि किसी तरह से अशुद्ध या कोई ऐसा केमिकल उसमें न रहे जो शरीर के लिए नुकसानदेह हो। इसीलिए अनेक तरह से जांच करके दूध की खरीद हो और तब उसकी आपूर्ति हो। इसलिए इसमें संदेह की कोई गुंजायश नहीं है। जहां-तहां कतिपय मामले पकड़े गए हैं और सख्त कार्रवाई की गई है।

उपसभापति: मंत्री जी ने न्याय के विस्तार से आश्वासन दे दिया, कोई सवाल पूछने की गुंजायश नहीं है। क्वेश्चन नं० 244...**(व्यवधान)** सेकेंड सप्लीमेंट्री।

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Madam, as far as the Milk and Milk Products Act is concerned, the hon. Minister should reply whether this Act is in force or not.

उपसभापति: क्या बोला आपने?

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: In 1992 the Union Minister for Agriculture enacted the Milk and Milk Products Act. I want to know whether this Act is in force or not. ...*(interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Which Act are you referring to?

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Madam, it is the Milk and Milk Products Order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is talking about... *(interruptions)*...

वह यह कह रहे हैं कि 49 का एक्ट है...(व्यवधान)

SHRI SATISH AGARWAL: He wants to know whether the Order issued under the Essential Commodities Act is in force or not throughout the country.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जी, उसे एंफोर्स कर दिया गया है। उसके संबंध में 765 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और 28 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं।

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल: मैडम, सिंथेटिक मिल्क कोई न कोई डेरी में बनता होगा। तो क्या इसके उत्पादन पर हम कुछ रोक लगाने के लिए स्टेप ले रहे हैं? दूसरे, मैं यह पूछना चाहती हूं कि यह बच्चों और जो हमारे यंग लड़के-लड़कियां हैं, उनके सेहत का सवाल है। तो उसको भंग करने वालों को जो सज़ा दी जाती है, उसमें कुछ सुधार करके ज्यादा कड़ी सज़ा करने के बारे में सरकार कुछ सोच रही है?

उपसभापति: अभी जो प्रोविज़न है, उसके अलावा इस सवाल की गंभीरता को सामने रखते हुए आप कोई दूसरा सुझाव हमारे सामने लाने वाले हैं इस हाउस में?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, अभी जो प्रिवेंशन ऑफ फूड ऐडल्ट्रेशन ऐक्ट, 1955 है, उसके नियम बने हुए हैं और उसमें सख्त सज़ा की गुंजाइश है। तीन महने से लेकर तीन वर्ष तक की जेल की सज़ा और जुर्माना है उसमें।

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल: मैडम, तीन महीने की सज़ा को कौन सज़ा मानेगा? ऐसा गुनाह करने वालों को तो कम से कम दस वर्ष की सज़ा होनी चाहिए। वह नॉन बेलेबल भी करना चाहिए, इसके बारे में मंत्री जी कुछ कह सकते हैं क्या?

THE DEPUTY CHAIRMAN: These acts are enacted by the Parliament. If the Members so feel that in view of the seriousness of the adulteration affecting the life of children and women who are feeding milk there should be a more stringent Act, they should bring a Bill and .we should pass it

आपके पास कोई सुझाव है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, अभी तक जो कानून है जिसे माननीय सदस्यों ने पार्लियामेंट के द्वारा बनाया है, उसको सरकार सख्ती से लागू कर रही है लेकिन सदन यदि यह महसूस करे कि और सख्ती की ज़रूरत है तो सरकार को कोई ऐतराज़ नहीं है, हम और सख्त कानून बना सकते हैं।

उपसभापति: वीणा वर्मा जी। .....(व्यवधान).....

I will call according to the list before me.

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल: मैडम, मेरा दूसरा सवाल रह गया है।

उपसभापति: अब आपका हो गया। .....(व्यवधान).....वीणा वर्मा जी .....(व्यवधान).....

You please sit down. *(Interruptions)*...

उर्मिला जी, ऐसे बीच में मत बोलिए। उन्होंने जवाब दे दिया। वीणा जी, आप बोलिए। एक-एक सवाल यदि पूछना है तो सभी को पूछ लेने दीजिए।

श्रीमती वीणा वर्मा: उपसभापति महोदया, यह मामला सिर्फ सिंथटिक दूध की मिलावट का ही नहीं है। यह मामला हमारी अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात करता है। हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान है कि इस देश में "दूधो नहाओ पूतो फलो" कहा जाता था ....(व्यवधान).... और प्राचीन समय में कहा जाता था कि इस देश में दूध की नदियां बहती थीं। आज जो सवाल है। "पॉइनियर" की एक कटिंग मेरे पास है जिसक हेडिंग है "The Great White Lie".

इसमें बताया गया है कि जो गाय और भैंस का दूध होता है उसमें कोई प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन नहीं होते हैं। सिर्फ चार रोटी...

उपसभापति: अब यह सवाल इससे संबंधित नहीं है। I cannot permit it. I am not permitting this.

श्रीमती वीणा वर्मा: मैं सिर्फ यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह मंत्री जी के ध्यान में लाया गया है जिसमें प्योर मिल्क को ही नकारा गया है और पाउडर मिल्क की सेल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? इसके बारे में मंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है?

THE DEPUTY CHAIRMAN: This question does not arise. *(Interruptions)*... No. please. I know milk means a lot. This specific question on adulteration of milk cannot be extended to milk as such in the entire world. So, I will call Mr. Peter Alphonse. Let us confine ourselves to the subject itself and everybody would be satisfied.

SHRI S. PETER ALPHONSE: Madam, the question is with regard to synthetic milk. But the Minister's answer is confined to ordinary milk. There should be a vast difference between ordinary milk and synthetic milk. Synthetic milk contains naphtha, urea and other things also. The hon. Minister said that he had found foreign substances. But he did not detail what the foreign substances are. Do those foreign substances include urea and naphtha whicha are highly detrimental to health? Can the Minister list out the companies which manufacture this synthetic milk? I would like to know whether the Government has taken any action under the Prevention of Food Adulteration Act. If any action is taken, they should have sealed the company and stopped manufacture. I would like to know what the Government has done and whether the Government will come forward with a proposal to ban the sale of synthetic milk in the whole country till it is cleared by a competent agency which would certify the quality of the milk.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, सिंथेटिक मिल करके कुछ है नहीं। जो इस तरह की केमीकल मिलावट थी उसी को अखबार वालों ने सिंथेटिक मिल्क लिखा। वैसे सिंथेटिक मिल करके बाजार में या औपचारिक ढंग से कहीं कुछ नहीं है। इसलिए दूध में यूरिया मिलाया जाये, डिटरजेंट मिलाया जाये, पानी मिलाया जाये या अन्य किसी प्रकार की चीजों को मिला कर के, उसको अशुद्ध करके अनुचित लाभ की कोशिश की गई। उस सब का इस प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, 1955 में प्रावधान है। इसलिए सिंथटिक मिल्क का नाम लोग अखबारों में दिये हैं, ऐसा कुछ बाजार में औपचारिक ढंग से सिंथेटिक मिल्क नहीं हैं। इसकी बिक्री कहीं नहीं है।

श्री रणबीर सिंह: महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमने अडल्ट्रेशन की बात सुनी थी और अब यह सिंथेटिक मिल्क की बात सुनने में आ रही है तो क्या यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि क्या-क्या चीजें सिंथेटिक दूध में मिलाई जाती हैं?..

उपसभापति: उन्होंने अभी बताया।

श्री रणबीर सिंह: क्या ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि इस बात की जानकारी घर में भी हो जाये, जिससे हम जान लें कि सिंथेटिक मिल्क है या ठीक मिल्क है ताकि कंज्यूम करने से पहले हम उसे टेस्ट कर सकें, क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदया, जहां-जहां पर अशुद्ध दूध के सेम्पल लिए गये, उनकी जांच में पता चला कि उसमें कुछ मात्रा में यूरिया और कुछ फैट है, एक प्रकार का ऑयल, तेल है, जिससे उसके फैट में वृद्धि होती है और इससे उनको नाजायज ढंग से ज्यादा कीमत मिलती है। दूध के सेम्पल लेकर जांच की गई तो पता चला कि उसमें तीन तरह के पदार्थ मिलाये जाते हैं और खासकर पीने पर लोगों को इसकी जानकारी हो जाती है। हमारे यहां पहले टेस्ट होता है टच कर के, छू कर के उसके बाद सूघं कर के और मुंह में रख कर के, यह सबसे बढ़िया टेस्ट माना गया है। अब इससे सन्देह होता है कि इसमें कुछ खट्टापन है, कुछ खारापन है, अल्ट्रा स्वाद है और जो पहले से हम लोग दूध पीते रहे हैं उससे भिन्न है तो दूध के अलग-अलग सेम्पल लेकर कई तरह की जांच की गई। जांच में पता चला कि वही फैट उसमें बाहर से मिलाया गया है जिससे कि उसकी ज्यादा कीमत मिले। इसलिए इसकी चलन स्तर पर प्रथा नहीं है। जहां-तहां इस तरह के नाजायज ढंग के केस हुये थे, जो सरकार की नजर में आ गये। उन पर कार्रवाईयां हो रही हैं और आगे भी सख्ती रखेंगे। इस संबंध में हैल्थ विभाग और एनीमल हसबेंड्री विभाग के उच्च अधिकारियों की बातचीत हुई है, उन्होंने इस पर

मीटिंग की है और सख्त ढंग से इस पर कार्रवाई की गई है जिससे आगे इस तरह की गड़बड़ी न हो।

SHRIMATI MARGARET ALVA: Madam, it is a bigger scam than the animal husbandry scam. *(Interruptions).*

उपसभापतिः बलबीर सिंह जी सबके नाम जैसे लिखे है मैं उसी प्रकार से बुला रही हूं और जैसे ही आपका नाम आयेगा मैं आपको बुलाऊंगी।

I was willing to cross over to another question. But you wanted to have it. Okay, have the milk, whether synthetic milk or otherwise.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Madam, as you know, it is a very serious problem. There is tremendous growth of synthetic products in the country. Actually, it is a challenge to the very existence of mankind. It is very unfortunate that Doordarshan is advertising synthetic products. I would like to know....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is Doordarshan patronising?

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Yes, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: How? The Minister has said. ...*(Interruptions)*... there is no synthetic milk.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Advertising is a kind of patronising.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Would you give an example? The Minsiter has just now said that there is not such factory which manufactures synthetic milk. Do you have any example? Was there any advertisement on doordarshan about Synthetic milk? If you have any information, please give it to the House.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Madam, I will give this information after collecting those names.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Then don't make a statement on the floor of the House when you are not sure about
it.

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Madam, there are milk products in which synthetic items are mixed. Everybody knows it. I would like to know from the hon. Minister whether the Government will taken steps to control these advertisements.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have never seen any advertisement on television about synthetic milk.

SHRI M.P. ABDUSSMAD SAMA-DANI: Madam, milk products which contain synthetic ingredients are there. *(Interruptions).*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदया, उस तरह का जो मिल्क है, उसके प्रोडेक्ट का प्रचार होता है लेकिन सिंथेटिक कस्के कुछ प्रचार नहीं होता है, यह सिंथेटिक का दुष्प्रचार हुआ है। लोगों के मन में शंका न रहे इसलिए हम लोग हर जगह मुस्तैद हैं कि कहीं कोई गलत प्रचार नहो, गलत कारोबार न हो, कोई गलत काम न हो जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़े।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Report of the Sub-Committee on Seniority of Non-Teaching Staff of KVS

*244. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Sub-Committee appointed by his Ministry to advise on the issue of common seniority to non-teaching staff of Kandriya vidyalayas has since submitted its report;

(b) if so, whether the said Committee has recommended introduction of common seniority; and

(c) if so, whether Government have accepted the said recommendations?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S. R. BOMMAI): (a): No, Sir.

(b) and (c): Do not arise.